न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1249–एक/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–7–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 13/2008–09/अपील.

———

1– नरेन्द्र कुमार पुत्र आशाराम
निवासी दीखतनकापुरा तहसील
व जिला भिण्ड म.प्र.

2– दाताराम यादव पुत्र शादीलाल
निवासी ग्राम घरई तहसील व
जिला भिण्ड म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती फूलनदेवी पुत्र श्री रामेश्वर दया
पत्नी द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम ऐतहार
तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री पी. के. तिवारी, अधिवक्ता, आवेदकगण ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 08-01-15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2008–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.7.2010 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों ने प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी धर्मेन्द्र पुत्र सूरजभान से पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय कीत्र, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन देने पर कार्यवाही के दौरान अनावेदिका ने नामांतरण न किए जाने की आपत्ति की । नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28.8.09 द्वारा विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध एस.डी.ओ. के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 30.9.09 द्वारा अपील स्वीकार की गई तथा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदिका द्वारा आवेदक के विरूद्ध व्यवहार वाद क्रमांक 38ए/09 में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा 29.1.10 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत व्यवहार अपील 15.4.10 द्वारा निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.8.10 को इस निर्देश के साथ याचिका निराकृत की गई है कि विचारण न्यायालय (सिविल जज) लंबित दीवानी वाद का निराकरण यथाशीघ्र करें तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाये ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदिका का दीवानी वाद दिनांक 29.7.11 को निरस्त किया जा चुका है जिसकी अपील भी 27.1.12 द्वारा निरस्त की गई है जिसके विरूद्ध कोई द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित होने का नोटिस उन्हों प्रस्तुत नहीं हुआ है इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुके हैं ।उक्त आधार पर उनके द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने एवं दोनों अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय के जिन निर्णयों का हवाला लिखित बहस में दिया गया है उक्त निर्णयों की कोई प्रतियां इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई हैं,

जिसके आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा सके । फिर भी न्यायहित में आवेदकों को निर्दे । दिए जाते हैं कि वे व्यवहार न्यायालयों के जिन निर्णयों का सहारा ले रहे हैं उनकी प्रमाणित प्रतियां तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें और तहसीलदार तदनुसार प्रकरण का निराकरण करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर